

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/स्था.पद.-04-04/2015..... / राँची, दिनांक:..... /

-: शुद्धि-पत्र :-

जल संसाधन विभाग के विभागीय आदेश संख्या-2967 दिनांक 01.09.2015 के क्रमांक-02 में अंकित कनीय अभियंता का नाम 'अखिलेश कुमार सिंह' के स्थान पर 'अखिलेश सिंह' पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् प्रभावी रहेंगी।
3. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 2993

राँची, दिनांक :-

2-9-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ राज्य के सभी उपायुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/ विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/प्रशाखा-01, 02 एवं 03/ वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्मपित/प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।